(162)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3750–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–8–2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त उटीला तहसील व जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 63/15–16/अ–12

1–रामअवतार पुत्र श्री रामकृष्ण
2–रामकुंवर पत्नी श्री गिरजाशंकर
निवासी गण ग्राम उटीला तहसील मुरार
जिला ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक
वृत्त उटीला तहसील व जिला ग्वालियर
2–हरिचरण सिंह पुत्र आदिराम यादव
निवासी ग्राम उटीला तहसील व जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री सुन्दरम् श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत्त उटीला तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत उसके स्वत्व व स्वामित्व की ग्राम उटीला स्थि भूमि सर्वे कमांक 1431/3 रकबा 0.491 हेक्टेयर व सर्वे कमांक 1439/3 रकबा 0.441 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 63/अ–12/15–16 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 30–8–2016 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना आवेदक को सूचना दी जाकर उसक पीठ पीछे सीमांकन की कार्यवाही की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि सीमांकन में पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है । उनके द्वारा सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक कमांक 1 विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन किया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश स्थिर रखा जाकर निरगानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान् अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन में नक्शे अथवा सीमांकन प्रतिवेदन में किसी का कब्जा नहीं दर्शाया गया है इसलिये आवेदकगण के इस तथ्य की पुष्टि सीमांकन से नहीं होती है है कि आवेदकगण की भूमि अनावेदक की भूमि में नाप दी गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही संहिता की धारा

129 के अन्तर्गत विधिवत स्थल का पंचनामा, फील्डबुक तैयार कर स्थायी सीमाचिन्हों से की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त उटीला तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर